प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस. मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001
Department of Communication, Central Office, S.B.S. Marg, Fort, Mumbai - 400 001
फोन/Phone: 022 - 2266 0502

आज़ादी का अमृत महोत्सव

09 जून 2022

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (2 आवास वित्त कंपनियों सहित) का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त कर दिया है।

क्र.	कंपनी का नाम	पंजीकृत कार्यालयीन पता	पंजीकरण प्रमाणपत्र सं.	पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र निरस्त करने की तिथि
1	मलिक मोटर फाइनेंस लिमिटेड	एच-213, सेक्टर 63, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201301	बी.12.00.434	08 मई 2006	26 मई 2022

अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी।

इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29 ए(6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया है।

क्र.	कंपनी का नाम	पंजीकृत कार्यालयीन पता	पंजीकरण प्रमाणपत्र सं.	प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक	प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक
1	नॉर्थ ईस्ट रिजियन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	हाउस नंबर डी 64(ई), दूसरा बैक साइड बिल्डिंग, रिपब्लिक रोड, सिकुलपुइकावन, मिशन वेंग, आइजोल, मिजोरम - 796005	10.0078.09 (एनएचबी द्वारा जारी)	13 अक्टूबर 2009	27 मई 2022
2	आर्यार्थ हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	शॉप नंबर-जीएफ, 116-जी, सुशांत शॉपिंग आर्केड बिल्डिंग, सुशांत लोक, फेज I, गुड़गांव, हरियाणा - 122002	07.0156.17 (एनएचबी द्वारा जारी)	31 जुलाई 2017	30 मई 2022

अत: उपरोक्त कंपनियां न तो आवास वित्त संस्था और न ही गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करेगी, जैसा कि क्रमशः राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में परिभाषित किया गया है।

(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/344